संचिका संख्या– 01/स्था०अरा०–206/2026– 1490
बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 29 जुलाई, 2026

विषय :– गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत "ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध कृषि विभाग से सेवानिवृत्त (Retired) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (मृदा विश्लेषण), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (जैविक), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (आत्मा), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (गुण नियंत्रण), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (बीज उत्पादन), कृषि निरीक्षण ईख एवं अन्य, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (प्रक्षेत्र), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (बीज विश्लेषण), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (भूमि संरक्षण) एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (सूचना) का संविदा आधारित नियोजन" के लिए ccs.bihar.gov.in के माध्यम से दिनांक–01.08.2026 से 16.08.2026 तक अपराह्न 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है जिसकी जानकारी संबंधित को दिये जाने हेतु विज्ञापन सामग्री संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि आधे रंगीन पृष्ठ में राज्य में प्रकाशित होने वाले सभी हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक–30.07.2026 (गुरूवार) को प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय। प्रकाशन हेतु भेजी जा रही विज्ञापन आदर्श आचार सहिता के दायरे में नहीं आता है।

प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

Raje. 29/07/26.

(राजीव रंजन)
अवर सचिव।

Rajesh Ji Letter

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

विज्ञप्ति संख्या– 1490 /2026

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष का संविदा आधारित नियोजन की सूचना।

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना है।

अतएव गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में ईख प्रसार पदाधिकारी के कुल रिक्त 71 (इकहत्तर) पदों पर सेवानिवृत्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए विभागीय पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर दिनांक–01.08.2026 से 16.08.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	पदनाम	कोटिवार रिक्तियाँ		महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के अनुमान्य पद	अहर्ता	मसिक मानदेय
1	2	3		4	5	6
1	ईख प्रसार पदाधिकारी	अनारक्षित	30	11	कृषि विभाग से सेवानिवृत्त (Retired) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (मृदा विश्लेषण), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (जैविक), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (आत्मा), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (गुण नियंत्रण), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (बीज उत्पादन), कृषि निरीक्षण ईख एवं अन्य, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (प्रक्षेत्र), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (बीज विश्लेषण), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (भूमि संरक्षण) एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (सूचना)	सेवानिवृत्त (Retired) प्रखंड कृषि पदाधिकारी को मानदेय के रूप में उनका अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि देय होगा।
2		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7	2		
3		अनुसूचित जाति	10	4		
4		अनुसूचित जनजाति	01	0		
5		अत्यंत पिछड़ा वर्ग	13	5		
6		पिछड़ा वर्ग	7	2		
7		पिछड़े वर्गों की महिला	03	—		
		कुल योग :–	**71**	**24**		

नोट :–

i. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 के आलोक में अनारक्षित वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा।

ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के आलोक में दृष्टि बाधित दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 01 पद, मूक बधिर दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 01 पद, चलन दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 01 पद एवं मनोविकार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 00 पद अर्थात कुल 03 (तीन) पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत् देय होगा।

iii. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को क्षैतिज आरक्षण के तहत् 02 (दो) पद देय होगा।

2. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक–16.08.2026 के अपराह्न 05:00 बजे से पूर्व आवेदन समर्पित किया जयेगा, उन सभी अभ्यर्थियों का दिनांक–19.08.2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में वांछित कागजातों का सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

शर्तें :–

1. गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में ईख प्रसार पदाधिकारी के कुल–71 (इकहत्तर) नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध कृषि विभाग से सेवानिवृत्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद को संविदा आधारित नियोजन किया जा रहा है। ईख प्रसार पदाधिकारी की नियमित नियुक्ति होते ही इनकी संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः 02 (दो) वर्ष अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक–एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
3. आरक्षण कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
6. वैसे अभ्यर्थी जिनपर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जाएँगी। अतएव संविदा पर नियोजन के लिए आवेदन समर्पित करते समय उक्त आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
7. पी०पी०ओ० की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पी०पी०ओ० उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत पेंशन/उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति अभ्यर्थी संलग्न कर सकते हैं।
8. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
9. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट **www.state.bihar.gov.in/sugarcane** के **Notice Board** पर उपलब्ध है।

Raje 29/07/26.
अवर सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।